



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DY 598301

बी० के पालीवाल

20 MAR 2018

कैशियर

के. ए. आगरा

HOUSING LOAN AGREEMENT

THIS AGREEMENT made at AGRA on this 28th Day of March' 2018 between

- 1) Sh. Ashwani Kumar Tripathi S/o Shri Uma Nath Tripathi aged 53 years,
- 2) Smt. Gayatri Tripathi W/o Shri Ashwani Kumar Tripathi aged 47 years,

BOTH residents of H. No. J-29, Judge Compund, Nehru Nagar, AGRA - 282002

hereinafter called the "BORROWER/s", which expression shall wherever the context so admits mean and include his/her/their heirs, executors, administrators, assigns and legal representatives OF THE ONE PART and CANARA BANK, a body corporate, constituted under the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, having its Head Office at 112, Jayachamarajendra Road, Bangalore - 560 002 and among others, a branch at Retail Asset Hub, 26, Bhagirathi Devi Marg, Khandari, AGRA - 282 002 hereinafter called the 'BANK' which expression shall, wherever the context so admits or requires, mean and include its attorney, successors and assigns, OF THE OTHER PART;

.....Continued on Printed Housing Loan Agreement consisting 9 Pages

Ashwani Kumar Gayatri Tripathi

see attached copy of loan agreement

Ashwani Kumar

District Judge
Sahasganj

Ashwani Kumar
Gayatri Tripathi

आवास ऋण करारनामा (व्यक्तियों के लिए)
HOUSING LOAN AGREEMENT (For Individuals)

करारनामे के रूप में
मोहर लगाई जाएगी
To be stamped as
an agreement

यह करारनामा आज दिनांक महीना 200..... को 1. श्री/श्रीमती
का/की पुत्र/पुत्री/पत्नी आयु वर्ष निवासी

2. श्री/श्रीमती का/की पुत्र/पुत्री/पत्नी
आयु वर्ष निवासी

द्वारा में किया गया है जो इसके आगे उधारकर्ता कहलाएगा/गी जिसके अंतर्गत एक
तरफ उसका/की कानूनी उत्तराधिकारी; प्रतिनिधि; प्रशासक है और दूसरी तरफ केनरा बैंक; बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण)
अधिनियम 1970 के अधीन गठित एक निगमित निकाय है जिसका प्रधान कार्यालय 112, जयचामराजेन्द्र रोड, बंगलूर- 560 002, पर है और
जिसकी शाखा/खुदरा आस्ति हब पर स्थित है अन्य चीजों के अलावा
इसके आगे 'बैंक' कहलाएगा जिसके अंतर्गत इसके अटार्नी; उत्तराधिकारी शामिल है के बीच किया गया।

THIS AGREEMENT made at on this
day of 20..... between 1. Shri/Smt
..... son/daughter/wife of
..... aged years residing at

2. Shri/Smt
..... son/daughter/wife of
..... aged years residing at

hereinafter called the "Borrower/s", which expression shall wherever the context so admits mean and include his/
her/their heirs, executors, administrators, assigns and legal representatives OF THE ONE PART and CANARA BANK, a
body corporate, constituted under the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970,
having its Head Office at 112, Jayachamarajendra Road, Bangalore-560002 and among others, a branch/Retail Asset
Hub at hereinafter called the
'BANK' which expression shall, wherever the context so admits or requires, mean and include its attorney, successors
and assigns, OF THE OTHER PART;

जबकि उधारकर्ता अपने आवेदन के अनुसार (1) उधारकर्ता की भूमि पर रिहायशी मकान के निर्माण (2) एक नई आवासीय इकाई प्राप्त करने
अथवा (3) अलग से दिये गए/दिए जाने वाले ब्योरों के अनुसार उधारकर्ता के अपने मकान की मरम्मत करने जो
स्थित है (यहाँ भूमि/भवन का पूरा ब्योरा दे) के प्रयोजन
हेतु अधिकतम रूप (शब्दों में) की धनराशि का आवास ऋण
प्राप्त करने का/की इच्छुक है।

WHEREAS the Borrower/s is/are desirous of availing a housing loan upto a maximum amount of Rs. 33,50,000/-
(Rupees Thirty Three Lakh Fifty Thousand Only)
as per his/her/their application for the purposes of

1. Construction of a residential house on land belonging to the Borrower,
2. Acquiring a new housing unit or
3. Carrying out repairs as per details separately given/to be given to the house owned by the Borrower/s situated
at Flat No. 104, 1st Floor, Omega Presidency Tower, Khosla, No. 165 and 185,
Green Park Township, Opp. Ram Swarup Engg Coll., Faizabad Road, Lucknow
(here give complete details of land/building)

Krupali Gayatri Tripathi

अब यह करारनामा निम्नलिखित का साक्षी है।
NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH

- 1) बैंक उधारकर्ता को मकान खरीदने/मकान का निर्माण करने/मकान की मरम्मत करने के प्रयोजन हेतु रूपए..... की अधिकतम धनराशि स्वीकृत करने को सहमत है, उधारकर्ता इस बात से सहमत है और वचन देता है कि ऋण की मूल राशि, ब्याज, इस करारनामे के अंतर्गत देय कोई भी खर्च अनुसूची में उल्लिखित सम्पत्ति के बंधक/प्रभार के द्वारा प्राप्त किया जाएगा और बैंक को बंधक/प्रतिभूति दस्तावेज के प्रकार का निर्णय करने का अधिकार होगा, यह अपेक्षा की जा सकती है तथा उधारकर्ता तदनुसार बंधक/प्रतिभूति दस्तावेजों को निष्पादित करने को बाध्य होगा और बैंक द्वारा अपेक्षित ऐसी संपार्श्विक प्रतिभूति प्रस्तुत करने को सहमत होगा।

उधारकर्ता समझता है तथा सहमत है कि ऋण दस्तावेजों के निष्पादन, मंजूरी, संवितरण इत्यादि खुदरा अस्ति हब पर किए जाते हैं, ऋण खाता शाखा (..... शाखा) में संचालित की जाएगी जहां से उधारकर्ता ने अपना/अपनी/उनके आवेदन अग्रेपित/जमा कराया है तथा सहमत है कि विपयक शाखा में संचालित ऋण खाता का भुगतान भी किया जाएगा।

The Bank is agreeable to grant a housing loan to the Borrower/s upto a maximum amount of Rs. 33,50,000/- (Rs. Thirty Three Lakh and fifty Thousand Only.....) for the purpose of acquisition of house/construction of house/carrying out of repairs of house belonging to the Borrower for the aforesaid consideration, the Borrower/s agree/s and undertakes that the principal sum of the loan, interest, any charge due under this agreement shall be secured by mortgage/charge of the property described in the schedule and Bank shall have the right to decide, the type of mortgage/security documents it may desire and the borrower/s shall be bound to execute the mortgage/security documents accordingly and agree/s to create such security as required by the Bank.

The borrower understands and agrees that though execution of loan documents, sanction, disbursement, etc., are done at Retail Asset Hub, loan account will be maintained at the branch (..... T. P. Nagar..... branch) where in the borrower has routed/submitted his/her/their application and further agrees that repayments will also be made towards the loan account maintained at the said branch.

- 2) उधारकर्ता ऋण प्राप्त करने से पहले बैंक द्वारा अपेक्षित ढंग से ऋण के लिए सीमान्त के रूप में रूपए..... की धनराशि जमा करने का वचन देता है।

The Borrower/s undertake/s to deposit a sum of Rs. 860125/- as margin for the loan in the manner required by the Bank before availing loan.

- 3) स्वीकृत पत्र के अनुसार बैंक, सामग्री वाउचर/कार्य पूरा किए जाने के लिए बीजक/बिलों के प्रस्तुत करने पर मकान के निर्माण हेतु चरणों में ऋण राशि सत्यापित/प्रति हस्ताक्षरित बीजकों के प्रस्तुत किये जाने पर उधारकर्ता अथवा ठेकेदार को सीधे भुगतान कर सकता है और विधिवत रूप से किया गया ऐसा कोई भुगतान उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा अथवा बना-बनाया मकान खरीदने के मामले में रजिस्ट्रार की उपस्थिति में अधिकृत व्यक्तियों को एक मुश्त संवितरण कर सकता है।

The Bank may as per the sanction letter disburse the loan amount in stages for construction of the house, on production of bills/vouchers for materials/work completed and pay directly to the borrower or the contractor upon the contractors bills being submitted by the borrower duly verified and countersigned by him and any such payment duly made shall be binding on the borrower/s or make a lumpsum disbursement, to the persons entitled in the presence of the Registrar in case of outright purchase of house.

- 4) उधारकर्ता बैंक द्वारा अपेक्षित रूप में निर्धारित संपत्ति के मरम्मत/निर्माण के संबंध में अनुमानित लागत के ब्योरे बैंक को प्रस्तुत करेगा।

The Borrower shall furnish to the Bank in respect of the schedule property full details of the repairs/construction together with details of the estimated cost thereof in the form required by the Bank.

- 5) रुपये..... प्रति किस्त के रूप में.....

स.मा.कि/समान मासिक/त्रैमासिक/अर्ध-वार्षिक/वार्षिक किस्तों में बैंक को आवास ऋण की चुकौती करने हेतु उधारकर्ता सहमत है। इस प्रकार पहली किस्त की अदायगी..... को या उसके पूर्व की जाएगी और तत्पश्चात् बाद की किस्तों की अदायगी जैसा भी मामला हो, प्रत्येक महीना/तिमाही/अर्ध-वर्ष/वर्ष के उसी दिन को या उसके पूर्व की जाएगी।

Ar. Rupali Gayatri Tripathi

उधारकर्ता/ओं को ज्ञात है कि जब कभी भी ब्याज दर में बढ़ोत्तरी होगी, बैंक वर्तमान में निर्धारित ईएमआई की प्रमात्रा को बढ़ाकर वसूली समायोजित करने को स्वतंत्र होगा। ब्याज दर में कमी होने पर बैंक वर्तमान में निर्धारित ईएमआई की प्रमात्रा को घटाकर वसूली समायोजित करने को स्वतंत्र होगा।

The Borrower/s agree/s to repay the housing loan to the Bank by 96 M E.M.I./equal monthly/quarterly/half yearly/yearly instalments of Rs. 48,300/- each, the first of such instalments shall be paid on or before and thereafter the subsequent instalments on or before the same day of each month/quarter/half year/year as the case may be.

The borrower/s is/are aware that as and when there is increase in the rate of interest, bank will have the liberty to adjust the repayment by increasing the quantum of EMI fixed now. When there is decrease in the rate of interest the bank will have liberty to adjust the repayment by decreasing the quantum of EMI fixed now.

- 6) उधारकर्ता/ओं द्वारा लागू आधार दर से% अधिक ब्याज, अर्थात् वर्तमान अस्थिर दर% जो मासिक/तिमाही/छः माही आधार पर चक्रवर्धित है, का भुगतान किया जाएगा (वर्तमान आधार दर%) तथा यह ब्याज खाते में उपलब्ध शेष पर प्रगणित व प्रभारित की जाएगी जो प्रति माह/तिमाही/छः माही में देय है। यदि ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे खाते में बकाया मूल शेष के साथ उस शेष तथा वैसे क्रमिक शेषों पर चक्रवर्धित होगी।

वास्तविक उधार दर की भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार और उधारकर्ता के वित्तीयन में किसी प्रकार के परिवर्तन के कारण समय समय पर समीक्षा की जाएगी और इसमें भिन्नता आएगी। आधार दर में समय-समय पर परिवर्तन आगे। बैंक द्वारा धारित नेबमपट्ट "The Borrower shall pay interest at% above the Marginal Cost of Funds based Lending Rate (MCLR) compounded monthly/quarterly/half yearly. The actual lending rate which is linked to the MCLR shall be subject to review and variation at the time interval specified by the Bank. The change in MCLR notified by the Bank on its website and notice board of the Bank/Branch shall be conclusive notice to the borrower in respect of such change of Base rate. The Borrower hereby specifically waives serving notice by the Bank for any variation in interest rate including enhancement from time to time as may be directed by the Head Office of the Bank."

Gayatri Tripathi *Asupati*

Base Rate notified by the Bank on its Website and notice board of the Bank/branch shall be conclusive notice to the borrower in respect of change of Base Rate.

- 7) उधारकर्ता एतद्वारा विनिर्दिष्ट रूप से सहमत है कि बैंक के प्रधान कार्यालय के निर्देशों के अनुसार समय-समय पर की जानेवाली वृद्धि सहित ब्याज में परिवर्तन की नोटिस में उसके द्वारा छूट दी जायेगी। आगे, वह इससे भी सहमत है कि बैंक के परिसर में प्रदर्शित नोटिस बोर्ड पर अधिसूचित ब्याज की दर में ऐसे परिवर्तनों की सूचना उसके लिए काफी नोटिस होगी और समस्ते देय राशियों का शोधन संपूर्ण रूप से किए जाने तक समय-समय पर बैंक के नोटिस बोर्ड में अधिसूचित ब्याज की दर पर ब्याज अदा करने को वह सहमत है।

The Borrower/s hereby specifically agree/s that he/she/they waive/s notice of variation of interest including enhancement from time to time as per the directions of the Head Office of the Bank. He/she/they further agree/s that such variation in the rate of interest notified in the notice board in the bank premises shall be sufficient notice to him/her/them and that he/she/they agree/s to pay interest at the rate notified in the notice Board of the Bank from time to time until all dues are cleared in full.

- 8) सहमत शर्तों के अनुरूप किसी भी प्रसंविदा/किस्त की अदायगी में या राशि का नियम या शोधन करने में उधारकर्ता चूक जाने पर, प्रति वर्ष 2% की दर पर या इस तरह चूकने की तारीख से जैसा मामला हो संपूर्ण रूप से राशि का नियमन या शोधन सुनिश्चित किए जाने तक अग्रिम राशि पर प्रभारित ब्याज की दर से ज्यादा बैंक द्वारा विनिर्धारित ऐसे अन्य दरों पर अतिदेय दण्ड-दर/प्रतिबद्धता प्रभार करने को उधारकर्ता बाध्य होगा।

In the event of borrowers default in any of the covenants/payment of any one instalment or in regularising or in clearing the amount as per the terms agreed upon the borrower shall be liable to pay interest at overdue penal rate/commitment charges of 2% per annum or such other rates as may be prescribed by the Bank above the rate of interest charged on the advance from the date or such default till regularising or clearing the amount in full as the case may be.

Asupati Gayatri Tripathi

- 9) उधारकर्ता एतद्वारा बैंक किस्त की राशि, ब्याज, प्रभार लागत या किये हुए खर्च की राशि सहित तथा बैंक के नियमों के अनुसार उसे उन्हें कोई और संदर्भ दिए बिना किसी भी समय उसके/उनके ब बैं/चा खा सं. में नामे डालने का प्राधिकार देता है तथा उसके/उनके खातों में पर्याप्त राशि उपलब्ध रखने का वचन देता है/देती है/देते हैं। 1487101016842
- The Borrower/s hereby authorise the Bank to debit his/her/their SB/Current Account No. at any time with the amount of instalment, interest, charges, costs, expenses incurred as per the rules of the Bank without any further reference to him/them and undertake(s) to provide sufficient balance in his/their account/s. 15)
- उधारकर्ता को बैंक के प्रचलनों और प्रथाओं के अनुसार समय-समय पर उधारकर्ता के खाते में नामे डाले जाने वाले सामान्य बैंक प्रभारों, वचनबद्धता प्रभारों, अनुषंगिक खर्चों और कमीशन आदि भी देना होगा।
- The Borrower/s shall also pay usual Bank charges, commitment charges, incidentals, commission etc., which may be debited to the borrower's account from time to time in accordance with the usages and practices of the Bank. 16)
- 10) उधारकर्ता वचन देता है कि बैंक अपने विवेक पर उधारकर्ता/ओं /सह-आभारी/गारंटर/बंधककर्ता से प्राप्त भुगतान का विनियोजन करे।
- The Borrower/s undertake that the Bank shall have the right to appropriate the payments received from the Borrower/s / Co-obligant / Guarantor / Mortgagor at its sole discretion.
- 11) माँगे जाने पर उधारकर्ता/ओं बैंक को मासिक किस्त के लिए उत्तर दिनांकित चेक देने को सहमत है/हैं तथा उधारकर्ता/ओं आरवासान देता है/हैं कि चेक पहली प्रस्तुती पर ही स्वीकृत होगा। किसी भी कारण से चेक की गैर प्रस्तुती उधारकर्ता/ओं की मासिक किस्त भुगतान अथवा किसी भी अन्य राशि की देयता को प्रभावित नहीं करती है। उधारकर्ता/ओं चेक को प्रतिस्थापित/नए चेक को जारी करने के लिए सहमत है/हैं, जब कभी बैंक के द्वारा आवश्यक हो। उधारकर्ता/ओं को भुगतान के लिए किसी चेक को प्रस्तुत नहीं करने हेतु बैंक से पूछने का अधिकार नहीं है और यदि उधारकर्ता ऐसा करता है, तो बैंक को फिर भी भुगतान के लिए किसी चेक को प्रस्तुत करने का अधिकार होगा और अस्वीकार किये जाने पर परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 का अध्याय XVII के अधीन प्रावधान लागू होगा।
- On demand the Borrower/s agree/s to deliver to the Bank Post-dated Cheques for the monthly instalments and the Borrower/s warrants that the cheques will be honoured on first presentation. Any non-presentation of a cheque due to any reason will not affect the liability of the Borrower/s to pay the monthly instalments or any other sum. The Borrower/s agree/s to forthwith replace the cheques/issue fresh cheques, if required by the Bank. The Borrowers shall not be entitled to call upon the Bank to refrain from presenting any cheque for payment and if the Borrower/s does so, the Bank shall nevertheless be entitled to present the cheque for payment and in the event of dishonour the provisions under Chapter XVII of the NI Act, 1881, shall apply. 18)
- 12) उधारकर्ता वचन देता है तथा घोषणा करता है कि उक्त ऋण के लिए प्रतिभूति/यों के रूप में रखी गयी संपत्ति/संपत्तियों का उसके/उनके पास स्पष्ट तथा विपणनीय हक है तथा भार से मुक्त है/हैं एवं वह/वे वचन देता है/देते हैं कि संपत्ति/संपत्तियों के दोषपूर्ण हक/भार के कारण बैंक को हुई हानि/होने वाली हानि के लिए वह क्षतिपूर्ति करेगा।
- The Borrower/s undertake/s and declare that he/she/they have clear and marketable title to the property/ies offered as security/ies in the subject loan and is/are free from encumbrances and he/she/they undertake to indemnify the Bank against the loss, if any, sustained/to be sustained by the Bank due to defective title/encumbrance in the property/ies.
- 13) जब तक कि समस्त आवास ऋण की चुकौती नहीं होती है उधारकर्ता बैंक की लिखित अनुमति के बिना किसी भी प्रकार से बंधक/प्रभारित संपत्ति को हस्तांतरित न करने को सहमत है/वचन देता है। इसके अतिरिक्त उधारकर्ता बंधक संपत्ति को सभी प्रकार के कर्जों, भारों, ग्रहणाधिकार अथवा प्रभारों से मुक्त रखने को सहमत होगा तथा ऋण अवधि के दौरान आवश्यक मरम्मत करके मकान को अच्छी दशा में रखेगा।
- Till the entire housing loan is repaid, the Borrower/s agree/s / undertake/s not to alienate the mortgaged/charged property in any manner without the written consent of the Bank. Further, the Borrower/s covenant/s to keep the mortgaged property free from all taxes, encumbrances, lien or charges of whatsoever kind and keep the house in good condition by making necessary repairs during the pendency of the loan.
- 14) उधारकर्ता वचन देता है कि अगर उक्त संपत्ति/संपत्तियों का अवमूल्यन होता है तथा बैंक के विचार से अतिरिक्त प्रतिभूति/यों को दिया जाना है, तो जब भी माँगा जाएगा वह/वे ऐसी अतिरिक्त/पर्याप्त/वैकल्पिक प्रतिभूति/यों को देगा।

Gayatri

Gayatri Tripathi

The Borrower/s undertake that if the value of the above said property/ies depreciates to such an extent and in the opinion of the Bank further security/ies is/are to be furnished, then he/she/they shall furnish such additional/adequate/alternate security/ies, if and when called upon to do so.

- 15) उधारकर्ता ने संपत्ति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य का खुलासा किया है जैसे बैंक के पास बंधक रखी संपत्ति/यों में उधारकर्ता के अधिकार/हक को प्रभावित करने वाली सार्वजनिक योजनाएँ, उक्त संपत्ति के संबंध में कोई विवाद तथा भुगतान नकाया आदि, तथा तथ्य से कुछ भी नहीं छिपाया गया।

The Borrower/s have disclosed all the material facts relating to the property like the public schemes affecting the Borrower's right/title in the property/ies mortgaged to the Bank, any disputes and payments due in relation to the said property/ies etc., and nothing has been concealed from facts.

- 16) यदि उधारकर्ता देय तारीख से तीन माह तक किस्तों की अदायगी करने में चूक करता है अथवा देय तारीख के बाद तीन माह तक ब्याज देने में असफल रहता है अथवा इन प्रस्तवों/किसी अन्य दस्तावेज के निष्पादन अथवा पालन में उधारकर्ता द्वारा उल्लंघन किए जाने की स्थिति में बैंक अग्रिमों को वापस लेने और/अथवा प्रतीभूतियों का प्रवर्तन करने का हकदार होगा।

The Bank will be entitled to recall the advances and/or enforce the security if the borrower/s default/s in paying any instalments for three months from the due date or fail/s to pay any interest for three months after due date or in the event of borrower/s committing any breach in the performance or observance of these presents/any other document.

- 17) बैंक द्वारा सहायता प्रदान करने के पूर्व-शर्त के रूप में उधारकर्ता/एं एतद्वारा सहमत हैं कि, यदि नियत तिथि को उधारकर्ता द्वारा ऋण/अग्रिम के भुगतान या उस पर देय ब्याज के भुगतान या ऋण के लिए सहमत किरत के भुगतान में कोई चूक किए जाने पर बैंक तथा/या भा.रि.बैं. को उसका/उसकी/उनके नाम फोटो सहित जिस प्रकार व जिस माध्यम से वे उचित समझें अपने पूर्ण विवेकाधिकार द्वारा प्रकाशित कर सकते हैं।

The borrower/s hereby agree as a pre-condition for granting assistance, by the Bank that, in case the borrower/s commit default in repayment of the loan/advances or in the repayment of interest thereon or any of the agreed instalment of the loan on the due date/s, the Bank and/or the Reserve Bank of India will have an unqualified right to disclose or publish his/her/their name along with the photographs of borrower/s in such manner and through such medium as the Bank or Reserve Bank of India in their absolute discretion may think fit.

- 18) बैंक अपने विवेकाधीन निम्नलिखित घटनाओं में से एक अथवा अधिक के होने पर इस करारनामे के अधीन समस्त धनराशि के भुगतान की मांग कर सकता है तथा प्रतिभूतियों का प्रवर्तन कर सकता है।

The Bank in its discretion have the right to demand the payments of all moneys under this agreement and enforce its security upon the happening of any one or more of the following events:

- क. न्यायालय द्वारा उधारकर्ता को दिवालिया अथवा धन शोधन अक्षम घोषित किये जाने पर।
- a. The borrower/s is/are declared as bankrupt or insolvent by a Court.
- ख. प्राप्त संपत्ति पर अथवा उधारकर्ता के व्यक्तित्व पर लागू अथवा लगाए जा रहे किसी दण्ड, कुर्की अथवा प्रवर्तन की स्थिति में।
- b. Any execution, attachment or distraint being enforced or levied on the property secured or on borrower personally.
- ग. किसी न्यायालय द्वारा प्राप्त संपत्ति के संबंध में प्राप्तकर्ता नियुक्त किए जाने पर।
- c. A receiver being appointed in respect of the secured property by any Court.
- घ. किसी ऐसी परिस्थितियों के आने पर जब उधारकर्ता द्वारा दी गई प्रतिभूति के मूल्य को हानि पहुंचाती है अथवा कम करती है।
- d. The occurrence of any circumstances which impairs, depreciates the value of security given by borrower.
- ङ. किसी ऐसी घटना अथवा परिस्थिति के उपस्थित होने पर जो बैंक के विचार में ऋण की अदायगी के लिए उधारकर्ता की क्षमता को किसी प्रकार से हानिकारक अथवा विपरीत रूप से प्रभावित करती है।
- e. The occurrence of any event or circumstances which in the opinion of the bank would or is likely to prejudicially or adversely affect in any manner the borrower's capacity to repay the loan.
- च. बैंक द्वारा जिस प्रयोजन के लिए स्वीकृत ऋण सुविधा अथवा उसके किसी भाग का उपयोग करने में असफल होने अथवा लापरवाही करने पर।
- f. Failure or neglect to utilise the credit facility or any part thereof for the purpose for which it was sanctioned by the Bank.

Ardupali Gayatri Tripathi

क्या उपर्युक्त कोई घटना घटित हुई है इस प्रश्न पर बैंक का निर्णय अन्तिम होगा और उधारकर्ता पर बन्धनकारी होगा।

On the question whether any of the above event has happened, the decision of the Bank shall be conclusive and binding on the Borrower.

- 19) बैंक अपने अधिकारियों द्वारा मकान के निर्माण का निरीक्षण करने का हकदार होगा अथवा समय-समय पर मकान के निर्माण की दशा को दर्शाने वाले फोटो प्रस्तुत करने का आग्रह कर सकता है ताकि स्वीकृत शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। असन्तोषजनक निरीक्षण रिपोर्ट की स्थिति में बैंक लिखित नोटिस देने अथवा प्रतिकारी उपाय करने के लिए उधारकर्ता को निदेश देने के बाद आगे अग्रिमों/किस्तों को रोक सकता है।

The Bank is entitled to inspect the construction of the house by its officers or insist the borrower/s to produce photos indicating the stage of construction of house from time to time to ensure the compliance of the condition terms. In the event of unsatisfactory inspection report, the Bank may stop further advances/instalments after giving written notice or direct the borrower to take remedial measures.

- 20) उधारकर्ता आग, युद्ध, दंगों, नागरिक संक्षोभ, हड़ताल, दुर्घटना के खतरे के विरुद्ध पूरे बाजार मूल्य के लिए निर्धारित संपत्ति का पर्याप्त रूप से बीमा कराएगा और फिलहाल लागू कानून द्वारा निर्धारित तथा बैंक द्वारा अपेक्षित प्रयोजनों के लिए भी बीमा कराएगा तथा समय-समय पर विधिवत् और नियमित रूप से बीमा-किस्तों की अदायगी करके पॉलिसी को सदैव चालू रखेगा और बीमा पॉलिसी के लाभों को बैंक को सौंप देगा। बैंक ऐसी सभी पॉलिसियों के सभी लाभों का हकदार होगा।

उधारकर्ता एतद्वारा ऐसी सभी पॉलिसियों का हस्तान्तरण करने और इसके लाभों को प्रभावकारी रूप से बैंक में निहित करने के लिए जो भी आवश्यक होगा उसको करने को सहमत है और वचन देता है। उधारकर्ता अनुसूचित संपत्ति के किसी भी प्रकार की टूट-फूट अथवा ध्वंस से अथवा तृतीय पक्ष द्वारा किसी प्रकार के दावे के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करने को भी सहमत है। बैंक इस बात के लिए स्वतंत्र होगा और बाध्य नहीं होगा कि उधारकर्ता अनुसूचित संपत्ति को बैंक द्वारा अनुमानित मूल्य की सीमा तक किसी बीमा कंपनी के पास अपने जोखिम, उत्तरदायित्व और खर्च पर बीमा करेगा और कि अनुसूचित संपत्ति का बीमा कराने की स्थिति में बैंक को दावे के पूर्णतः अथवा अंश में अस्वीकार होने पर उत्तरदायी नहीं माना जाएगा चाहे यह दावा बैंक द्वारा किया गया हो अथवा उधारकर्ता द्वारा किया गया हो।

उधारकर्ता द्वारा यह स्पष्ट रूप से वचन दिया जाता है कि वह स्वयं/अपनी तरफ से दावा पेश करने की कार्रवाई शुरू करने/बैंक/बीमा कंपनी को आवश्यक सूचना देने किसी भी कारण से संपत्ति को हुई हानि/क्षति के ब्योरों को सूचित किए जाने के बिना ही बैंक/बीमा कंपनी को आवश्यक सूचना देने जैसे सभी उपाय करेगा/करेगी। प्रतिभूति की हानि/क्षति के कारण दावे के पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से अस्वीकार होने की स्थिति में उधारकर्ता बीमा कंपनी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कार्रवाई करने के लिए बैंक से अपेक्षा किए बिना समस्त बकाया देयता बैंक की लौटाने को उत्तरदायी होगा/होगी।

दावे का भुगतान न होने की स्थिति में बैंक पूर्णतः अपने स्वनिर्णय से बीमा कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है, बैंक ऐसे करने के लिए किसी बाध्यता के अधीन नहीं होगी और न ही उधारकर्ता से स्वयं कार्रवाई करने की अपेक्षा करेगी, उस स्थिति में उधारकर्ता बैंक के निर्णय पर आपत्ति करने का हकदार नहीं होगा। यदि बैंक ऐसी पॉलिसी के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा के अंदर पॉलिसी का दावा पेश नहीं करता तो बैंक बीमा कंपनी अथवा अन्य व्यक्ति के विरुद्ध बीमा की राशि का दावा अथवा मुकदमा दायर न करने के लिए उधारकर्ता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

The borrower/s shall adequately insure the schedule property for the full market value against risk of fire, war, riots, civil commotion, strike, accident, risk and also such other purposes as may be prescribed by the law for the time being in force and as required by the Bank and keep the policy always current by duly and punctually paying the premia from time to time and to assign the benefits in insurance policy thereof to the Bank. The Bank shall be entitled for all the benefits of all such policies.

The Borrower/s hereby agree/s and undertake/s to do everything to transfer and effectively vest in the Bank the benefits of all such policies. The Borrower/s further agree/s to indemnify the Bank against loss by reason of damage or destruction or loss to the schedule property from any cause whatsoever for reason of claim by third party in respect of the same.

The Bank is at liberty and is not bound to effect such insurance at the risk, responsibility and expenses of the Borrower/s with any Insurance Company only to the extent of the value of schedule property as estimated by the Bank and that in the event of insuring the schedule property, the Bank shall not be considered or deemed to be responsible or liable for non-admission or rejection of the claim wholly or in part whether the claim is made by the Bank or by the Borrower/s. It is expressly undertaken by the Borrower/s that he/she/they shall himself/herself/themselves of his/her/their own accord take all steps like initiation of filing

Acknowledged Gayatri Tripathi

claims/furnishing necessary information to the Bank/insurance Company without being informed of details of loss/damage for any reason whatsoever. In the event of rejection of claim either wholly or in part on account of loss/damage to the security, the Borrower/s shall be liable to repay to the Bank the entire outstanding liability without requiring the Bank to proceed in the first instance against the Insurance Company. In the event of non-settlement of claim, the Bank may at its absolute discretion take action against Insurance Company without being under any obligation to do so or require the Borrower himself to take action, in which case the Borrower shall not be entitled to question the decision of the Bank. If the Bank does not lodge any claim under the policy within the time limit prescribed under such policy, the Bank shall not be liable to the Borrower for not filing any claim or suit for recovery of the insured amount against the Insurance Company or any other person.

- 21) यदि अप्रत्याशित कारणों से निर्माण/मरम्मत पूरी करने में विलम्ब हो रहा है तो बैंक उधारकर्ता के अनुरोध पर कार्य पूरा करने और ऋण की अदायगी शुरू करने के लिए समय दे सकती है।

If there is delay in completing the construction/repairs on account of unforeseen reasons, the Bank may, at the request of the Borrower, at its discretion grant time for completing the work and commencing repayment of the loan.

- 22) उधारकर्ता अनुसूचित संपत्ति के संबंध में संपत्ति कर और अन्य शुल्क जब कभी वे देय हो अदा करने का वचन देता है और बैंक को उसका प्रमाण पेश करेगा।

The Borrower/s undertake/s to pay the property tax and other dues relating to the schedule property as and when due and produce the proof thereof to the Bank.

- 23) उधारकर्ता सहमत है कि बैंक को उधारकर्ता/ताओं द्वारा इसके तहत प्राप्त ऋण के संबंध में किसी एजेन्सी से पुनर्वित्त प्राप्त करने का या ऐसे ऋण की प्रतिभूतियों पर अधिकार है। उधारकर्ता इस हेतु भी सहमत है कि बैंक इस करार के द्वारा/अधीन उसके सभी/किसी अधिकार/विशेषाधिकारों का समनुदेशन किसी अन्य व्यक्ति/एजेंसी/न्यासी के प्रति कर सकता है और उधारकर्ता ऐसे समनुदेशन द्वारा बाध्यकारी होगा और समनुदेशिनी को, बैंक द्वारा उसे दिए गए सभी अधिकारों को प्रवर्तित करने का हक है। आगे उधारकर्ता एतद्वारा पुनर्वित्तीयन/प्रतिभूतिकरण/समनुदेशन संबंधी उधारकर्ता की किसी कार्यवाही को बैंक द्वारा नोटिस जारी करने की छूट हेतु सहमति देता है/देते हैं।

The borrower/s agree/s that the Bank has the right to avail refinance from any agency in respect of the loan availed herein by the borrower/s or to securitize such loan. The borrower/s also agree/s that the Bank can assign all/any of its rights/privileges under/by this agreement to any other person/agency/trust and the borrower/s shall be bound by such assignment and assignee has the right to enforce all rights which the Bank so assigned. Further, the borrower/s hereby consents for the waiver of notice by the Bank to the borrower/s of any such action of refinancing/securitisation/assignment.

- 24) उधारकर्ता इस बात से भी सहमत है कि वह अपने ऋण आवेदन में दर्शाए गए अनुसार मकान का निर्माण पूरा करेगा अथवा अन्यथा और संबंधित नागरिक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए समाप्ति प्रमाणपत्र को प्राप्त करेगा और बैंक को प्रस्तुत करेगा।

The Borrower covenant/s that he shall complete the construction of the house as indicated by him in his loan application or otherwise and obtain and produce to Bank, Completion Certificate issued by the Civil Authority concerned.

- 25) इस करारनामे, बंधक विलेख अथवा किसी अन्य करारनामे अथवा दस्तावेज के अंतर्गत किसी चूक पर बैंक को प्राप्त होने वाले किसी अधिकार, शक्ति अथवा उपाय का उपयोग करने में विलम्ब अथवा उपयोग करने में चूक होने से ऐसे किसी अधिकार शक्ति अथवा उपाय को कम नहीं करेगी अथवा उसकी समनुमति मानी जाएगी। किसी चूक में इसके द्वारा किसी चूक अथवा समनुमति के संबंध में बैंक की क्रिय/निष्क्रियता बैंक अधिकार, शक्ति अथवा उपाय को प्रभावित कम नहीं करेगी।

No delay in exercising or omission to exercise any right, power or remedy accruing to Bank upon any default under this agreement, mortgage deed or any other agreement or document shall impair any such default nor shall the action/inaction of Bank in respect of any default or any acquiescence by it in any default, affect or impair any right, power or remedy of Bank in respect of any other default.

- 26) उधारकर्ता द्वारा यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाता है और घोषित किया जाता है कि सुविधा के आधार पर प्राप्त करने और प्रचालित किए जाने के लिए बैंक की किसी अन्य शाखा में सीमा/बकाया देयता के स्थानांतरण हेतु उधारकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने की स्थिति में अथवा बैंक द्वारा स्वीकार्य किसी अन्य कारण से और बैंक सीमाओं को स्थानांतरित करने के लिए सहमत होता है और अथवा संबंधित शाखा/शाखाओं द्वारा ऐसी दूसरी सीमा के लिए अलग से प्राप्त किए जाने वाले आलेख और दस्तावेजों के अनुसार पुनः सीमा स्वीकार

Ashwini Gayatri Tripathi

करती है तो प्रस्तुत की गई प्रतिभूति और उस शाखा में प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूति जिसमें लेखा रखा जाता है, बैंक की शाखा/शाखाओं में उपलब्ध होगी जिस शाखा में ऐसी सीमा अब बकाया राशि के भुगतान हेतु स्थानांतरित मानी जाती है और जो किसी अन्य उधार लेखों में उधारकर्ता अथवा उधारकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से इसके आगे देय हो सकता तथा प्रस्तुत किया जा चुके दस्तावेज/आलेख सभी प्रकार से और सभी प्रयोजनों के लिए उधारकर्ता के प्रति लागू होते रहेंगे और कथित दस्तावेजों/आलेखों के उद्देश्य ऐसे माने जाएंगे जैसे कि वे उधारकर्ता द्वारा उस शाखा/शाखाओं जिनमें ऐसी सीमाएं स्थानांतरित मानी जाएंगी के पक्ष में निष्पादित किए गए हैं।

It is expressly agreed and declared by the Borrower/s that in the event of Borrower making request to transfer the limit/outstanding liability to any other branch of the Bank for being availed and operated on the ground of convenience or for any other reason acceptable by the Bank and Bank agrees to transfer the limits and/or grants further limit as per records and documents separately to be obtained for such further limit by the concerned branch/es, the security created and to be created in favour of the branch in which accounts are maintained shall be available to the branch/es of the Bank to which such limit stand transferred for the repayment of the amount now due and that may be due hereafter by the Borrower or by the Borrower jointly with others in any other accounts and the documents/records already created shall continue to be enforceable against the Borrower in all respects and for all purposes and intents the said documents/records shall be taken as if they are executed by the Borrower in favour of the branch/es to which such limits stand transferred.

- 27) मेरे/हमारे नियोजक के कारोबार/सेवा में मेरे/हमारे सेवा की समाप्ति पर चाहे सेवानिवृत्ति द्वारा, पद त्यागने पर, मृत्यु या कानूनी रूप से, या किसी अन्य कारण से या जिस किसी भी कारण से और जैसे भी हो आपके विवेकाधिकार में आपको मेरे/हमारे नियोजक को विनियोग करने और निपटान करने हेतु आपको लिखने का अधिकार होगा i) कोई भी राशि हमारे नियोजक द्वारा मुझे/हमें देय है चाहे वेतन, भत्ता, बोनस, अन्य पारिश्रमिक या कोई भुगतान (चाहे अनुग्रहपूर्वक या अन्यथा) जो भी हो और ii) आपके या मेरे/हमारे नियोजकों द्वारा किसी खाते में जमा करने हेतु मेरी/हमारी राशि किसी शेष को पुनर्भुगतान की ओर चाहे एकल या संयुक्त रूप से जो ब्याज सहित ऐसे भुगतान की तिथि तक लागू दों पर) मेरे/हमारे उक्त ऋण खाते में मेरे/हमारे द्वारा शेष देय होगा, आपके या मेरे/हमारे नियोजकों द्वारा किया गया ऐसा कोई विनियोग अंतिम होगा और मुझ पर/हम पर बाध्य होगा और मेरी/हमारी संपदा दोनों न्यायालय में और न्यायालय के बाहर होगा। संपूर्ण देयों का तुरंत भुगतान करने के मे/हमारे देयता तब तक वैध होगा जब तक कि चाहे मेरे/हमारे नियोजक या अन्यथा द्वारा वसूली के माध्यम से आपके द्वारा भुगतान की तिथि तक लागू ब्याज सहित संपूर्ण राशि वसूल नहीं की जाती।

In the event of my/our ceasing to be in business/service of my/our employer whether by retirement, resignation, death or by operation of law or for any other reason or cause whatsoever and howsoever you shall be entitled at your discretion, to write to my/our employer to appropriate and set off i) any amount which may be payable by/our employer to me/us whether by way of salary, allowance, bonus, other remuneration or any payment (whether ex-gratia or otherwise) whatsoever and ii) any amount that may be standing to the credit of any account which I/We may have with my/our employers or with you, either singly or jointly towards repayment of any balance that may be then remaining due by me/us in my/our said loan account together with interest thereon at the applicable rates upto the date of such payment, any such appropriation made by you or my/our employers shall be conclusive and binding on me/us and my/our estate both in and out of court. In any event my/our liability to make payment of the entire dues immediately shall remain valid till the entire amount with applicable interest as upto the date of payment has been realised by you whether by way of recovery from my/our employer or otherwise.

- 28) सीबिल/अन्य प्राधिकारियों को दी गई/दी जाने वाली सूचना/विवरणों के संबंध में मेरे/हमारे द्वारा किसी प्रकार का विवाद नहीं किया जाएगा तथा वह मुझ/हम पर बाध्य होगा।
I/We shall not raise any dispute in what so ever manner regarding information/details furnished/to be furnished to CIBIL/other authorities and same is binding on me/us.
- 29) मैंने/हमने यहाँ संलग्न मुख्य विवरणी को पढ़ा है, अंतर्वस्तु को समझ लिया है तथा एतद्द्वारा उसमें वर्णित नियमों/तथ्यों से सहमत हूँ/हैं।
I/We have gone through the key fact statement annexed hereto, understood the contents and hereby agree/consent to the terms/fact stated therein.

इसके साक्ष्यस्वरूप पार्टियों द्वारा ऊपर उल्लिखित दिन, माह और वर्ष को इन प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

In witness whereof, the parties hereto have signed these presents on the day, month and year above mentioned.

Gayatri Tripathi

आस्तियों की अनुसूची / SCHEDULE OF PROPERTY

क/A

Flat No. 104 on the 1st floor, Omega Presidency,
built over a part of Kt. No. 165 and 185 situated at
Village Uttaradhams, Pargana, Tehsil and District
Lucknow

ख/B

ब्योरा/विस्तार Particulars/Extent	संपत्ति का प्रकार Nature of Property	अवस्थिति व सीमायें Location and Boundaries	अनुमानित मूल्य Approximate Value
1545 sq.ft. [143.53 sq.mtr.]	Residential Flat	N - Corridor of 1st Floor of Omega Presi- dency S - Open to sky E - Flat No. 103 W - Flat No. 105	Rs. 42,10,125/- as per Agreement to Sale dt. 21/04/2017

Akshupati Gayatri Tripathi

उधारकर्ता/BORROWER/S

केनरा बैंक के निमित्त और उसकी ओर से
For and on behalf of CANARA BANK

नोट: इस कारनामे के हिन्दी रूपांतर में शब्दार्थ विषयक कोई विवाद या विचार विभिन्नता होने की स्थिति में मूल अंग्रेजी प्रारूप को ही कानूनन सही माना जाएगा।
Note: In case of any dispute / difference with regard to meaning of the words given in the Hindi version of this document the English draft will be deemed as legally correct.